# कार्यालयः उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

संख्याः 320/उपाध्यक्ष/2016 दिनांकः जून 25 ,2016

**आदेश**

प्राधिकरण में दाखिल होने वाले मानचित्रों के नियमानुसार निस्तारण में कतिपय प्रकरणों में विवाद के कारण निस्तारण में विलम्ब होता है। इस संबंध में Ease of Doing Business के बिन्दु संख्या–75 "Establish a dedicated conflict resolution machanism for land and construction permits" के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण स्तर पर इस हेतु संबंधित विकास प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये, जिसमें संबंधित उपजिलाधिकारी, संबंधित प्राधिकरण के अभियन्त्रण एवं नियोजन विभाग के वरिष्ठतम सदस्य होगें। उक्त के अनुक्रम में विवाद से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता हैः–

1. सचिव, विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद – **अध्यक्ष,**
2. संबंधित उपजिलाधिकारी, इलाहाबाद – **सदस्य,**
3. मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठतम सदस्य (अभियन्त्रण) – **सदस्य,**
4. मुख्य नगर नियोजक/वरिष्ठतम सदस्य (नियोजन) – **सदस्य,**

उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. सचिव, विकास प्राधिकरण।
2. समस्त संबंधित उपजिलाधिकारी, इलाहाबाद।
3. मुख्य अभियन्ता।
4. मुख्य नगर नियोजक।
5. प्रभारी अधिकारी–भवन/समस्त जोनल अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

25/6/16
उपाध्यक्ष